

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 119

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दिया जाना

119 # श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी) को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (पीएमजेएके) खोलने की अनुमति प्रदान की गई है;
- (ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी पीएसी को पीएमजेएके खोलने की अनुमति प्रदान की गई है;
- (ग) इन औषधि केंद्रों को खोलने के लिए क्या समय सीमा ते की गई है; और
- (घ) उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी पीएसी को पीएमजेएके खोलने के लिए चिह्नित किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ " प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दिया जाना" के संबंध में, संसद सदस्य श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

जी हां, मान्यवर। सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग की प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) संचालित करने की अनुमति दी गई है। पीएमबीजेके के रूप में काम कर रहे पैक्स ग्रामीण नागरिकों को सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। जन औषधि केंद्र लगभग 1,965 दवाएं और 293 शल्य चिकित्सा से संबंधित वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान करते हैं।

अब तक, 4,289 पैक्स/ सहकारी समितियों ने प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 2,293 पैक्स को प्रारंभिक स्वीकृति भी दे दी गई है। प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले पैक्स राज्य सरकारों से औषध लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। इसके बाद, जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) द्वारा उन्हें स्टोर कोड जारी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य में 887 पैक्स/ सहकारी समितियों ने पीएम जन औषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 443 पैक्स को प्रारंभिक स्वीकृति दे दी गई है और 93 पैक्स ने ड्रग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।
